झारखण्ड सरकार

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0बजट–24/2018– 1272 **दिनांक :** 9/10/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/ पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य हेतु कुल **रू0 452.417 लाख (चार करोड़ बावन लाख एकतालीस हजार सात सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–36/2018–22/स्वी0 व0प0 दिनांक–01.08.2018 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–36/2018–68/आ0 व0प0 दिनांक 06.08.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–58–अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 452.417 लाख (चार करोड़ बावन लाख एकतालीस हजार सात सौ रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	331.279
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	121.138
कुल :–		**452.417**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2**, स्थल विवरणी **अनुलग्नक–3** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– पी0 19S240601789580103 तथा पी0 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेग तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरुप किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर

किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अग्रिम कार्य स्थल क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित स्थल चयन समिति से अनुमोदन कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राशि का व्यय करेंगे।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–24/2018**–1272 दिनांक–9/10/2018

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/ दुमका/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–24/2018**–1272 दिनांक–9/10/2018

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ गढ़वा/ देवघर/ गिरिडीह/ पाकुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनमूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रू0 237.38 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय वर्ष 2018–19 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			32288.40	11806.99	44095.39
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	176.00	56.828	20.780	77.608
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	250.00	80.721	29.517	110.238
3	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	250.00	80.721	29.517	110.238
4	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	250.00	80.721	29.517	110.238
5	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	100.00	32.288	11.807	44.095
योग :–		**1026.00**	**331.279**	**121.138**	**452.417**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/विकास
झारखण्ड, राँची।

F:\DEVELOPMENT\2018-19\Allotment\SCSP\Soil Conservation & Afforestation\S.O. 22 dt 01.08.2018 (6)\Advance work (SCSP)

7 वर्षीय वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम– भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 X 2 मी0)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0) :– 237.38

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	8
क.	**वित्तीय वर्ष 2018–19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 237.38**						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3.00	712.14	0.00	712.14	
2	**झाड़ी सफाई**			0.00	0.00	0.00	
2.1	सामान्य झाड़ी	हे0	7.00	1661.66	0.00	1661.66	
3	**घेरान कार्य –**			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रैंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं0 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवदक लाभ घटाकर दर)		2	474.76	1963.79	2438.55	प्रति हे0 अनुमानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरुप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे0	36.50	8664.37	0.00	8664.37	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे0	16.50	3916.77	0.00	3916.77	30 प्रतिशत पौधा रुट–शूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट–शूट रु0 5/– की दर से क्रय कर ट्यूब में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ)
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	3989.00	3989.00	
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्यः कंटूर ट्रेंचिंग– 90, कंटूर ट्रेंच साईज 5 मी0 X 0.30 X 0.3 मी0 का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मी0 से 3मी0 हो तथा इसकी मिटटी का नीचे ढाल पर 0.15 मी0 हट कर 0.30 मी0 की चौड़ाई में 0.15 मी0 गहरा कोड़नी कर रखा जाना	हे0	55.00	13055.90	0.00	13055.90	
8	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की लागत राशि का 15 प्रतिशत प्रथम वर्ष में व्यय की जाएगी)		16.02	3802.80	5704.20	9507.00	
	योग–		**136.02**	**32288.40**	**11806.99**	**44095.39**	
ख.	**वित्तीय वर्ष 2019–20 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 273.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2018–19 को आधार मानते हुए**						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	5869.50	0.00	5869.50	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	9964.50	0.00	9964.50	
3	दो कोड़नी एव निकौनी	हे0	41.50	11329.50	0.00	11329.50	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2.00	546.00	0.00	546.00	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल	9.20	2511.60	0.00	2511.60	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग–		**110.70**	**30221.10**	**2515.00**	**32736.10**	

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	8
ग.	**वित्तीय वर्ष 2020–21 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 314.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2019–20 को आधार मानते हुए**						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे0	23.00	7222.00	0.00	7222.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल	12.20	3830.80	0.00	3830.80	
4	गड्ढा घेरान की मरम्मत	चेन	1.00	314.00	0.00	314.00	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	3.00	942.00	290.00	1232.00	
	योग–		**39.20**	**12308.80**	**2182.40**	**14491.20**	
घ.	**वित्तीय वर्ष 2021–22 में सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 361.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार मानते हुए**						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे0	23.00	8303.00	0.00	8303.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल	12.20	4404.20	0.00	4404.20	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	3.00	1083.00	290.00	1373.00	
	योग–		**38.20**	**13790.20**	**1590.00**	**15380.20**	
च	**वित्तीय वर्ष 2022–23 में सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 415.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए**						
1	एक कोड़नी–निकौनी	हे0	23.00	9545.00	0.00	9545.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल	12.20	5063.00	0.00	5063.00	
4	घेरान की मरम्मत	चेन	1.00	415.00	0.00	415.00	
	योग–		**36.20**	**15023.00**	**500.00**	**15523.00**	
छ	**वित्तीय वर्ष 2023–24 में सम्पोषण कार्य (षष्टम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 477.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए**						
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल	12.20	5819.40	0.00	5819.40	
ज	**वित्तीय वर्ष 2024–25 में सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 549.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2023–24 को आधार मानते हुए**						
1	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल	12.20	6697.80	0.00	6697.80	
	सकल योग–		**384.72**	**116148.70**	**18594.39**	**134743.09**	

नोट
(1) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की

(2) स्थल विशिष्ठ प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाऐंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरुपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा

(3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से सबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।

(4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासयनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।

(5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।

(6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।

(7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

(.त्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अनुसूचित जतियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं0	स्थल / ग्राम का नाम	जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेटस	प्लॉट संख्या	रकवा (हे0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
1	हजारीबाग	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	सा0वा0 प्रक्षेत्र, माण्डू	बरकठ्ठा	बरही–99	बदीया जवाड़	N 24^0 18' 40.7" E 85^0 16' 16.8" N 24^0 18' 37.7" E 85^0 24' 13.8"	750पी0, 751पी0, 752	60
			सा0वा0 प्रक्षेत्र, विष्णुगढ़	बरही	बगोदर–86	चौधरीबांध	N 24^0 03' 10" E 85^0 59' 03"	1274, 1379, 1380, 1383	40
					बगोदर–102	पत्थलडीहा	N 24^0 23' 57" E 85^0 38' 09"	2	26
			सा0वा0 प्रक्षेत्र, पेटरवार	जरीडीह	जरीडीह–82	वाराडीह	N 23^0 38' 35" E 85^0 59' 39"		50
					योग :–				**176**
2	गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	सा0वा0 प्रक्षेत्र, भवनाथपुर	भवनाथपुर	भवनाथपुर–17	मकरी	N 24^0 24' 305" E 83^0 33' 40"	2321, 2322,	50
					भवनाथपुर–47	गरदा	N 24^0 25' 432" E 83^0 34' 306"	293पी0	50
			सा0वा0 प्रक्षेत्र, गढ़वा	डंडई	गढ़वा–402	महुडंड़	N 24^0 4' 700" E 83^0 38' 215"	328, 329, 330, 331, 332	50
			सा0वा0 प्रक्षेत्र, नगर	नगर उँटारी	गढ़वा–39	विशुनपुर	N 24^0 18' 854" E 83^0 28' 394"	5, 6, 554, 555	50
					गढ़वा–3	कुम्बा खुर्द	N 24^0 13' 189" E 83^0 27' 304"	23, 24	50
					योग :–				**250**
3	देवघर	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	सा0वा0 प्रक्षेत्र, देवघर	सारवां	सारवां–67	डुमरिया	N 24^0 35' 71.05" E 086^0 73' 64.57"	28, 67 / ए0	20
					सारवां–68	बधनी	N 24^0 36' 91" E 086^0 76' 54.53"	68 / ए0	30

क्र0	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं0	स्थल / ग्राम का नाम	जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेटस	प्लॉट संख्या	रकवा (हे0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
			सा0वा0 प्रक्षेत्र, मधुपुर	मधुपुर	मधुपुर–70	भिखनाडीह	N 24^0 21' 320" E 086^0 31' 387"	118पी0, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 1057पी0, 1059पी0, 1039पी0	15
									35
			सा0वा0 प्रक्षेत्र, मोहनपुर	मोहनपुर	देवघर–880	डुमरहार	N 24^0 32' 51.7" E 086^0 51' 20.6"	283, 1	25
					देवघर–881	पियारजोर	N 24^0 33' 13.2" E 086^0 51' 13.1"	20, 30, 91	15
					देवघर–886	रोपनी	N 24^0 32' 21.7" E 086^0 52' 44.6"	533, 536	25
					देवघर–883	पिपरा	N 24^0 33' 24.8" E 086^0 52' 43.9"	881	30
									55
					योग :–				**250**
4	गिरिडीह	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	बेंगाबाद वनरोपण प्रक्षेत्र	गाण्डेय	गाण्डेय–414	सोनाजोरी			30
					गाण्डेय–419	द्वारपहरी			
					गाण्डेय–543	गौराडीह			30
					गाण्डेय–602	चौधरीडीह			
					गाण्डेय–601	महदुडीह			
			गिरिडीह वनरोपण प्रक्षेत्र	गिरिडीह	गिरिडीह–249	कारूबेड़ा			40
			धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र	धनवार	धनवार–264	बन्देटाँड			50
			जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र	जमुआ	जमुआ–530	पथराटाँड़			25
					जमुआ–408	गम्हारडीह			40
					जमुआ–411	पलरा			
			डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र	धनवार	धनवार–42	जमडीहा			35
					योग :–				**250**

क्र0	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना/ थाना नं0	स्थल/ग्राम का नाम	जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेटस	प्लॉट संख्या	रकवा (हे0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
5	पाकुड़	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	पाकुड़ वन प्रक्षेत्र	महेशपुर	महेशपुर–131	राधाबल्लमपुर		404	15
					महेशपुर–133	घाटचोरा		1999	30
					महेशपुर–13	गोविन्दपुर		766	15
					महेशपुर–55	पंचानन्दपुर		1, 77, 39, 30, 61	15
				पाकुड	पाकुड़–27	शिवतल्ला		169, 170	5
			हिरणपुर	लिट्टीपाड़ा	डुमरिया–08	फुलपहाड़ी		851, 862	20
योग :–									**100**
सकल योग :–									**1026**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-24/2018/1272

दिनांक - 09-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	61822	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	5,682,800.00 रुपये छप्पन लाख बयासी हजार आठ सौ
2	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	61824	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	8,072,100.00 रुपये अस्सी लाख बहत्तर हजार एक सौ
3	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	61825	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	8,072,100.00 रुपये अस्सी लाख बहत्तर हजार एक सौ

योग: 21,827,000.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड अठारह लाख सत्ताइस हजार

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF,DBADHARKHAND)RANCHI

164.100.150.21

Run Date: [illegible]10/2018

पत्र संख्या - 01/YB-24/2018/1272 दिनांक - 09-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	61828	GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	8,072,100.00 रुपये अस्सी लाख बहत्तर हजार एक सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			
5	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme**	61830	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	3,228,800.00 रुपये बत्तीस लाख अठाइस हजार आठ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			
6	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	61834	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	2,078,000.00 रुपये बीस लाख अठहत्तर हजार
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA			

योग: 13,378,900.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड बावन लाख पाँच हजार नौ सौ 35,205,900.00

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.D[illegible])RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-24/2018/1272 दिनांक - 09-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	61835	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	2,951,700.00 रुपये उन्तीस लाख इकावन हजार सात सौ
8	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	61837	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	2,951,700.00 रुपये उन्तीस लाख इकावन हजार सात सौ
9	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Centeral Scheme : NA	61839	GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	2,951,700.00 रुपये उन्तीस लाख इकावन हजार सात सौ

योग: 8,855,100.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड चालीस लाख इकसठ हजार 44,061,000.00

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.D(BADHAWAN IFS)RANCHI

164.100.155.21 [redacted]

पत्र संख्या - 01/YB-24/2018/1272 दिनांक - 09-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	61842	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	1,180,700.00 रुपये ग्यारह लाख अस्सी हजार सात सौ

State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)

Centeral Scheme : NA

योग: 1,180,700.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड बावन लाख इकतालीस हजार सात सौ 45,241,700.00

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.D[illegible])RANCHI